

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर।

क्रमांक :- का.आ./2020/20

दिनांक :- 5 मई, 2020

कार्यालय-आदेश

मैं **केदार नाथ, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) एवं 410(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 14/पीआई/2020 दिनांक 14.04.2020, परिपत्र संख्या 17/पीआई/2020 दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर के आदेश क्रमांक 196/स्था. दिनांक 03.05.2020 की पालना में निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ कि :-

1. आगामी आदेश तक जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के **जयपुर मुख्यालय पर अवस्थित न्यायालयों के अतिरिक्त** शेष मुख्यालय **चौमू, जमवारामगढ़, कोटपूतली, शाहपुरा, विराटनगर, सांभरलेक, दूदू, फागी एवं किशनगढ़ रेनवाल मुख्यालयों पर पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण** आगामी प्रत्येक राजकीय/सार्वजनिक अवकाश के दिन अपने-अपने न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य, कोरोना वायरस के दृष्टिगत अपने-अपने निवास स्थान पर निष्पादित करेंगे। किसी भी न्यायिक अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने पर उनके लिंक अधिकारी द्वारा उक्त समस्त कार्य निष्पादित किये जायेंगे जिसके लिये अलग से कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।
2. जयपुर जिला मुख्यालय पर अवस्थित न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिये दिनांक 17 मई 2020 तक प्रत्येक राजकीय/सार्वजनिक अवकाशों हेतु **श्री सुरेश कुमार (III), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-1, जयपुर जिला, जयपुर (मोबाइल नंबर 9887696245)** को नियुक्त किया जाता है, उनके राजकीय/सार्वजनिक अवकाश के दिन मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में **श्री सुनील कुमार मीना, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-2, जयपुर जिला, जयपुर (मोबाइल नंबर 9911293133)** एवं उक्त दोनों न्यायिक अधिकारियों के राजकीय/सार्वजनिक अवकाश के दिन मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में **श्री रविन्द्र प्रताप सैनी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (मोबाइल), कम-2, जयपुर जिला, जयपुर (मोबाइल नंबर 9828466284)** उक्त कार्यों का निष्पादन करेंगे। नियुक्त न्यायिक अधिकारी राजकीय/सार्वजनिक अवकाश के दिन अपने निवास स्थान से उक्त समस्त कार्य निष्पादित करेंगे।

(केदार नाथ)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक :- 577tc 582

दिनांक :- 5 मई, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर को आदर सहित। (जरिये E-Mail)
2. जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय। (जरिये E-Mail)
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर। (जरिये E-Mail)
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। (जरिये E-Mail)
5. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर जिला, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (जरिये Whatsapp)
6. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर।